(15)

सं. ए०बी०-14017/64/2008-स्था०(आर०आर०)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
* * *

दिनांक : अक्तूबर, 2009
25/9/2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- पी.बी.-3 और पी.बी.-4 में संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के लिए गैर कार्यात्मक उन्नयन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

इस विभाग ने दिनांक 24.4.2009 के का०ज्ञा० द्वारा पी.बी.-3 और पी.बी.-4 में संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक उन्नयन के संबंध में अनुदेश जारी किए थे । दिनांक 21.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन के परिणामस्वरूप, भा.प्र.से. के अधिकारियों के बैच तथा ऐसे अधिकारियों जिन्हें 1.1.2006 से पी.बी.-3 और पी.बी.-4 के विभिन्न ग्रेडों में केन्द्र में तैनात किया गया है, से संबंधित ब्यौरों तथा बैच से संबंधित पहले अधिकारी की तैनाती की तारीख दर्शाई गई थीं । इस संबंध में, कुछ मंत्रालयों/विभागों और व्यक्तिगत अभ्यावेदनों द्वारा इस विभाग से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । उपर्युक्त पर इस विभाग द्वारा व्यय विभाग के परामर्श से विचार करके निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं :-

	संदेह के बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	यह कार्यालय ज्ञापन, शब्द "बैच" का संदर्भ देता है । केन्द्रीय सिविल सेवाओं और भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं में किसी बैच की परिभाषा है वर्ष, जिसमें परीक्षा संचालित की गई है । कुछ अन्य सेवाओं में, भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही की जाती है । जहां भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही की जाती है, बैच वह वर्ष है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया या भर्ती के लिए साक्षात्कार का वर्ष है ।	चूंकि विभिन्न सेवाओं में "बैच" की परिभाषा के संबंध में विभिन्न मानदण्ड हैं, अत: का.ज्ञा. में शब्द "बैच" सेवारंभ वर्ष का संदर्भ देता है ।
2.	कुछ सेवाओं में, समूह 'ख' अधिकारियों का संगठित समूह 'क' सेवा में प्रवेश	संगठित समूह 'क' सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारी भी गैर-कार्यात्मक

Net - in Hindi

	होता है । क्या ये अधिकारी इस कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे या नहीं । यदि हाँ, तो उनके मामले में बैच का मानदण्ड कैसे निश्चित किया जाएगा ।	उन्नयन के लाभ के लिए पात्र होंगे । उन्हें 'सीधे भर्ती' किए गए उन अधिकारियों के बैच के तदनुरूपी 'बैच' का लाभ दिया जाएगा, जिनके साथ उनकी वरिष्ठता क्लब्ड हो जाती है ।
3.	21.5.09 के कार्यालय ज्ञापन में, 1984 के समूह'क' सेवाओं के सभी अधिकारी और उससे पहले के बैच, 26.10.2006 से, तारीख जिसको भा.प्र.से. के 1986 के बैच के पहले अधिकारी को केन्द्र में जे.एस. के रूप में नियुक्त करने की तारीख अर्थात् 26.10.2006 से, एस.ए.जी. के लिए गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के लिए एक-साथ सम्मिलित किए गए हैं । 1984 के बैच से वरिष्ठ बैच में एस.ए.जी. को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने की कट-ऑफ तारीख 01.01.2006 होनी चाहिए । इसी प्रकार अन्य ग्रेडों में भी होना चाहिए ।	पी.बी.-3 और पी.बी.-4 में संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के गैर-कार्यात्मक उन्नयन की योजना छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । ये सिफारिशें 1.1.2006 से ही कार्यान्वित की गई हैं । इसी प्रकार कोई उन्नयन 1.1.2006 के बाद केन्द्र में तैनात भा.प्र.से. अधिकारियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है । इसलिए, 1.1.2006 से गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान के लिए अनुरोध स्वाकार्य नहीं है।
4.	अनुबन्ध-I की शर्तों का पैरा-7 प्रावधान करता है कि वेतन का नियतन सी.सी.एस.(आर.पी.) नियमावली,2008 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । क्या अधिकारी सी.सी.एस.(आर.पी) नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार उच्चतर वेतनमान में नियतन की तारीख के संबंध में विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं ?	सी.सी.एस.(आर.पी.) नियमावली, 2008 के प्रावधान लागू होंगे ।
5.	क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन का लाभ दिया जाएगा या नहीं ?	हमारे अनुदेशों का पैरा-6 प्रावधान करता है कि लाभ देय तारीख से होंगे । अत: सेवानिवृत्त अधिकारियों पर, जो देय तारीख की स्थिति के अनुसार अन्यथा पात्र हैं, विचार किए जाने की आवश्यकता होगी ।

2. एच.ए.जी. का 67,000-79,000 रुपए का नया वेतनमान, संशोधन पूर्व एस-30 वेतनमान के स्थान पर आरंभ किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि एच.ए.जी. के नए वेतनमान बनने के परिणामस्वरूप योजना के अधीन गैर-कार्यात्मक उन्नयन का लाभ पी.बी.-3 और पी.बी.-4 में विशेष ग्रेड वेतन में मिलेगा । एस.ए.जी. अधिकारियों को एच.ए.जी. ग्रेड में गैर-कार्यात्मक उन्नयन की अनुमति केवल वहीं दी जाएगी, जहां सेवा में इस प्रकार का ग्रेड हो ।

जे.अ. वैद्यनाथन

(जे. ए. वैद्यनाथन)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 23092112

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवलाय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :-

1. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय
4. स्थापना अधिकारी और सचिव, ए.सी.सी. (10 प्रतियाँ)
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग
6. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सभी कर्मचारी ।
8. विभागीय परिषद (जे.सी.एम.), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी सदस्य
9. स्थापना (आर.आर.प्रभाग) (100 प्रतियाँ)
10. एन.आई.सी., नॉर्थ ब्लॉक को इसे वेबसाइट पर डालने के लिए ।

जे.अ. वैद्यनाथन

(जे. ए. वैद्यनाथन)
भारत सरकार के उप सचिव